

अपीलीय अधिकरण
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

अपील / रेफरेंस / विधि प्रार्थना पत्र संख्या 96/६१ (सीआईएस 96/६१)
महावीर नगर विकास प्राधिकरण बनाम जविप्रा

रीख हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनीसियल्स जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस हुक्म
की तामील
में जारी हुए

रेफरेंस सं. 96/2021

महावीर नगर विकास समिति (गोल्यावास) बनाम जविप्रा

दिनांक 01.07.2026

रेफरेंसकर्ता की ओर से अधिवक्ता श्री संदीप राव उपस्थित।
जविप्रा की ओर से अधिवक्ता श्री श्याम सुन्दर चांवला उपस्थित।
अप्रार्थी सं 3, 4, 5 की ओर से अधिवक्ता श्री धर्मेन्द्र शर्मा
उपस्थित।

बहस रेफरेंस सुनी गई। पत्रावली व विधि के प्रावधानों का
अवलोकन व मनन किया गया।

रेफरेंसकर्ता द्वारा हस्तगत रेफरेंस के माध्यम से निम्न प्रकार
अनुतोष चाहा गया है।

“ अतः यह संविधिक रेफरेंस मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर
विनम्र प्रार्थना है कि इस संविधिक रेफरेंस को स्वीकार तू: अप्रार्थी
संख्या-1 के अधीनस्थ अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा अनुमोदित उक्त
महावीर नगर योजना में सार्वजनिक सड़क हेतु विहित और
आरक्षित की गई भूमि, जिसका विस्तार से वर्णन रेफरेंस के क्रम
3 में किया गया है, पर अप्रार्थी संख्या-1 व उसके अधीनस्थ
अप्रार्थी संख्या 2 के अनुचित और अवैध संरक्षण में अनुमोदित
मानचित्र की सार्वजनिक सड़क हेतु आरक्षित भूमि पर प्लॉट
सृजित कर गैर कानूनी व अवैधानिक किये गये अतिक्रमण के
अपराध के विरुद्ध तत्काल प्रभावी निरोधक / निवारक कार्यवाही
करने हेतु, और अप्रार्थी संख्या-1 के अधीनस्थ अप्रार्थी संख्या 2
द्वारा अनुमोदित उक्त महावीर नगर योजना के मानचित्र में
सार्वजनिक सड़क हेतु विहित और आरक्षित की गई भूमि पर प्लॉट
सृजित कर गैर कानूनी व अवैधानिक नाम हस्तांतरण /
प्रतिस्थापन कर आवंटन / नियमन की कार्यवाही नहीं करने हेतु
निर्देश प्रदान करनेय और अप्रार्थी संख्या-1 के अधीनस्थ अधिकारी
व कर्मचारी द्वारा कारित उक्त कृत्य के प्रति मूक दर्शक रह कर
अनुचित और अवैध संरक्षण प्रदान करने व सार्वजनिक सड़क की
भूमि पर प्लॉट सृजित कर गैर कानूनी व अवैधानिक नाम
हस्तांतरण / प्रतिस्थापन कर आवंटन/नियमन की कार्यवाही
करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध समुचित संविधिक कार्यवाही
करने, एवं अप्रार्थी संख्या-1 के अधीनस्थ अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा
अनुमोदित उक्त महावीर नगर योजना के मानचित्र में सार्वजनिक
सड़क हेतु विहित और आरक्षित की गई भूमि पर अप्रार्थी संख्या-1
के अधीनस्थ अप्रार्थी संख्या-2 द्वारा अतिक्रमण करवाकर प्लॉट
सृजित कर गैर कानूनी व अवैधानिक नाम हस्तांतरण /
प्रतिस्थापन की कार्यवाही कर नियमन / आवंटन की कार्यवाही
किये जाने के विरुद्ध अप्रार्थी संख्या-2 को भी जरिये स्थाई
निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावेय तथा इस संविधिक रेफरेंस में वर्णित
न्यायिक विनिश्चयों में अप्रार्थी संख्या-1 को प्रदत्त निर्देशों की
शब्दशः अनुपालना किया जाना सुनिश्चित करने हेतु भी अप्रार्थी
संख्या-1 व उसके अधीनस्थ अप्रार्थी संख्या-2 को जरिये स्थाई
निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे।”

अपीलीय अधिकरण
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

अपील / रेफरेंस / विविध प्रार्थना पत्र संख्या 96/९१ (सीआईएस 96/९१)	बनाम जविप्रा
सदस्य १८-५	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
रीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीसियल्स जज

अप्रार्थी सं 1 व 2 द्वारा निम्न प्रकार जवाब रेफरेंस प्रस्तुत किया गया है।

“ उक्त विकास समिति योजना के कुछ प्रभावशील व्यक्तियों द्वारा बनाई गई है जिसका मुख्य उद्देश्य केवल और केवल मात्र योजना के आवंटियों की शिकायत करना है तथा जिस सदस्य द्वारा उक्त विकास समिति की बात नहीं मानी जाती है या उनके द्वारा जो मांग की जाती है उसे पूरा नहीं किया जाता है तो ये विकास समिति के नाम पर जो योजना के मूल आवंटी है उनके विरुद्ध बार-बार शिकायत करते रहते हैं। यह प्रकरण यही समाप्त नहीं होता, इस समिति द्वारा कई बार ऐसी शिकायत की गई है जिसमें 40-50 आवंटियों को पटटा जारी नहीं करने बावत लिखा है और उसका मुख्य कारण यह लिखा है कि ये आवंटी विकास समिति के सदस्य नहीं हैं इसलिए उन्हें पटटा जारी नहीं किया जावे। जबकि कानून में ऐसी कोई बाध्यता किसी प्रकार अंकित नहीं है कि यदि कोई व्यक्ति विकास समिति का सदस्य नहीं है तो उसे पटटा नहीं दिया जा सके। यहां यह स्पष्ट करना भी आवश्यक है कि विकास समिति द्वारा यह रेफरेंस केवल मात्र गृह निर्माण सहकारी समिति के आवंटियों पर दबाव बनाने के लिए तथा विकास समिति को मांगो को पूरा करने की एवज में प्रस्तुत किया गया है जो पोषणीय नहीं होने के कारण प्रारम्भिक स्तर पर खारिज किये जाने योग्य है। योजना का अनुमोदन 10.04.2015 को हो चुका है।

उक्त रेफरेंस विकास समिति द्वारा प्रस्तुत किया गया है जिसमें यह प्रार्थना की गई है कि जयपुर विकास प्राधिकरण गृह निर्माण सहकारी समिति द्वारा आवंटित भूखण्डधारियों को पटटे जारी नहीं करे। प्रारम्भिक तौर पर यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि कोई भी विकास समिति को यह अधिकार प्राप्त नहीं है कि वह मूल रूप से विकसित करने वाली गृह निर्माण सहकारी समिति के पटटेधारियों के विरुद्ध इस तरह की प्रार्थना करते हुए किसी भी न्यायालय से अनुतोष प्राप्त नहीं किया जा सकता है तथा सहकारी समिति द्वारा इन्ही समानान्तर आपत्तियों को पूर्व में जयपुर विकास प्राधिकरण के सहकारिता प्रकोष्ठ व जोनल स्तर पर ये आपत्तियां की जा चुकी है जिन्हे सहकारिता प्रकोष्ठ द्वारा अक्षरशः विवेचन करते हुए नोटशीट दिनांक 08.02.2015 में यह स्पष्ट अंकित किया है कि किसी भी व्यक्ति को लीज डीड प्राप्त करने के लिए गृह निर्माण सहकारी समिति का सदस्य होना आवश्यक है ना कि विकास समिति का सदस्य होना आवश्यक है, किसी भी आवंटी को यदि गृह निर्माण सहकारी समिति द्वारा भूखण्ड आवंटित किया गया है और उसका नाम गृह निर्माण सहकारी समिति की सदस्यता सूची में अंकित है तो ऐसे आवंटी सदस्य को विकास समिति की आपत्ति कोई मायने नहीं रखती है।

उक्त प्रस्तुत प्रकरण में मुख्य रूप से यह प्रार्थना की गई कि पटटे जारी नहीं किये जावे जबकि गृह निर्माण सहकारी समिति की योजना के अनुरूप जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा पटटे जारी

अपीलीय अधिकरण
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

अपील / रेफरेंस / विविध प्रार्थना पत्र संख्या १६/१८ (सीआईएस १६/१८) सहायी जगह १७ बनाम जविप्रा	
तारीख हुक्म	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज
किये जा चुके हैं जो पंजीकृत भी हो चुके हैं। इस कारण प्रस्तुत प्रकरण में चाही गई प्रार्थना स्वयं ही समाप्त हो चुकी है तथा यह यह रेफरेंस अब न्यायालय में चलने योग्य नहीं है। जोन स्तरीय समिति को पट्टा दिये जाने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। यहां यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि समिति के पदाधिकारी को जो पूर्व में पट्टा दिया गया है वह भी जोन स्तरीय समिति द्वारा नक्शे अनुमोदन किये जाने के उपरान्त ही दिया गया है ऐसी स्थिति में प्रार्थी द्वारा यह लिखा जाना कि जोन स्तरीय समिति को अधिकारिता नहीं है यह बिल्कुल गलत है। क्योंकि राजस्थान सरकार द्वारा अपने विभिन्न अधिसूचनाओं द्वारा दिनांक 21.06.2012 दिनांक 20.09.2013 पृथ्वीराज नगर योजना में नियमन को मददेनजर रखते हुए अधिकारिता दी गई है और जिसके तहत ही प्रस्तुत प्रकरण में भी कार्यवाही की गई है इस कारण प्रार्थी के स्वयं के तथ्यों को देखते हुए ही प्रार्थी का स्वयं का प्रकरण अब सारहीन हो गया है जो प्राथमिक स्तर पर ही निरस्तनीय है। राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 21.06.2012 व दिनांक 20.10.2014 की प्रति, गृह निर्माण सहकारी समिति के योजना मानचित्र की प्रति, विकास समिति द्वारा प्रस्तुत योजना मानचित्र की प्रति, जविप्रा द्वारा पूर्व में अनुमोदित योजना मानचित्र दिनांक 10.04.2015 की प्रति व जविप्रा द्वारा अनुमोदित योजना मानचित्र दिनांक 08.12.2020 की प्रतियां तथा भूखण्ड संख्या 94 लगायत 97 की लीज डीड की प्रतियां संलग्न कर प्रदर्श आर/1, आर/2, आर/3, आर/4, आर/5, आर/6 व आर/7 (समूह) अंकित कर संलग्न है।” सुना गया। जविप्रा द्वारा प्रस्तुत जवाब को देखते हुये हस्तगत प्रकरण में वाद कारण निष्प्रभावी हो गया है। साथ ही रेफरेंस में वर्णित आधार बलहीन हैं। ऐसी परिस्थिति में यह अधिकरण वर्तमान रेफरेंस को निम्न प्रकार निस्तारित किया जाना न्यायसंगत समझता है। आदेश रेफरेंसकर्ता की ओर से प्रस्तुत हस्तगत रेफरेंस प्रभावहीन हो जाने के कारण निस्तारित किया जाता है। रेफरेंसकर्ता को यदि किसी प्रकार का अनुतोष की आवश्यकता हो तो वह विधि अनुसार अपील प्रस्तुत कर सकेगा। रेफरेंस का उपरोक्तानुसार निस्तारण किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।	

अपीलीय अधिकरण
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

अपीलीय अधिकरण / विविध आदेशों पर लक्ष्य 96/0 (सीआईएस) 96/0
गद्यपीलीय अधिकरण / विविध आदेशों पर लक्ष्य 96/0 (सीआईएस) 96/0

आदेशों पर लक्ष्य	हुआन का कार्यवाही तथा हुनीसिकन्त जज	नाम्बर व तारीख आदेशों पर लक्ष्य की तारीख व जारी हुए
------------------	-------------------------------------	--

यह निर्णय खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।